"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 487] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2015— आश्विन 11, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-36/2015/वाक/पांच (62). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसचूना क्रमांक एफ-10-78/2014/वाक/पांच (86), दिनांक 31-12-2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

अंक, शब्द एवं चिन्ह "30 सितम्बर, 2015" के स्थान पर, अंक, शब्द एवं चिन्ह "31 मार्च, 2016" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ-10-36/2015/वाक/पांच (62). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-36/2015/वाक/पांच (62), दिनांक 30-09-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 30th September 2015

NOTIFICATION

No. F-10-36/2015/CT/V(62). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in Notification No. F-10-78/2014/CT/V (86), dated 31-12-2014, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures, word and symbol "30th September, 2015", the figures, word and symbol "31st March, 2016" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-36/2015/वाक/पांच (63). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसचूना क्रमांक एफ-10-55/2013/वाक/पांच (74), दिनांक 27-12-2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

अंक एवं चिन्ह "30-09-2015" के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह "31-12-2015" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ-10-36/2015/वाक/पांच (63). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-36/2015/वाक/पांच (63), दिनांक 30-09-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 30th September 2015

NOTIFICATION

No. F-10-36/2015/CT/V(63). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in Notification No. F-10-55/2013/CT/V (74), dated 27-12-2013, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification,-

For the figures and symbols "30-09-2015", the figures, and symbols "31-12-2015" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-36/2015/वाक/पांच (64). — यत:, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) या छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसायियों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियां जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैण्डर वर्ष 2015 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकती हैं और कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये विहित समय-सीमा बढ़ाई जाए :

अत: छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाही, जो उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष लंबित हो, और जो 31 दिसम्बर 2015 तक पूर्ण नहीं की जाती है, को पूर्ण करने के लिए अवधि 30 जून 2016 तक बढ़ाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ-10-36/2015/वाक/पांच (64). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-36/2015/वाक/पांच (64), दिनांक 30-09-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 30th September 2015

NOTIFICATION

No. F-10-36/2015/CT/V(64). — Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) or the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2015 under the provisions of sub-section (7) of Section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) and which cannot be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the assessing authorities, and in order to enable the assessing authorities, and to complete such proceedings on merits, it is essential that the time limit prescribed for the completion of such proceedings is extended :

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, extends up to 30th June 2016 the period for completion of every such assessment proceeding under the said Acts in respect of every dealer, which is pending before the Deputy Commissioners of Commercial Tax, Assistant Commissioners of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers, and not completed by 31st December 2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ-10-36/2015/वाक/पांच. — छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-10/55/2013/वाक/पांच (74), दिनांक 27-12-2013 के अंग्रेजी पाठ में, पंक्ति क्र. 1 में, "No. F-10-33/55/2013/CT/V(74)" को, "No. F-10-55/2013/CT/V(74)" पढ़ा जाये.

No. F-10-36/2015/CT/V. — In English version of the Notification No. F-10-55/2013/CT/V(74), dated 27th December, 2013 issued under clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), as published in Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary), in line 1, "No. F-10-33/55/2013/CT/V (74)", shall be read as "No. F-10-55/2013/CT/V (74)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.